

22/01/20

पत्रावली आज वादी मय वकील ने
 प्रार्थना पत्र पर तलब किया की। वादी
 वकील ने प्रार्थना पत्र वाद विद्धी
 करने का बत पक्षा कर निकेश किया
 कि इन्हें वाद में पक्षकारों में शामिल
 हो गया है। अतः वाद विद्धी किया जाके
 प्रतिवादी सं. 5 से 6 के वकील उपेन्द्र
 प्रतिवादी सं. 5 से 6 के वकील ने उपा
 होकर कहा कि वाद विद्धी किया जाके
 तो इन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

आ: मय

हित में वादी का प्रार्थना पत्र वाद विद्धी
 करने वाद वा स्वीकार किया जाकर वाद
 में आगे की कार्यवाही इनी तर पर समाप्त
 की वाद विद्धी किया जा रहा है। पत्रावली
 अगले सुन होकर स. वि. उ. उ. उ. उ. उ.
 संलग्न रहे मय है।

~~22/01/2020~~
 22/1/2020

सहायक कलक्टर
 चोंहटन

नि. अ. अ. अ.



h 7.1

प्रतिवादी 346
 की ओर से उपेन्द्र
 काउन्सिलर
 कि इन्हें उपा
 कि इन्हें
 वकील
 (346)

